

राजस्थान सरकार  
निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर-302033 फोन नं. 0141- 2796625 मेल- [DIRECTORUNANI@RAJASTHAN.GOV.IN](mailto:DIRECTORUNANI@RAJASTHAN.GOV.IN)  
क्रमांक: प्रति-2/ च.श्रे अधि.से.नि.-2021/2020-21/ दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/परिचारकों के द्वारा वर्ष 2021 में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवा-निवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम कार्मिक	पिता/पति का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	श्री चेतन लाल	श्री त्रिलोक चन्द	परि.	राजकीय यूनानी औष. अन्दरकोट-अजमेर	15.04.1961	30.04.2021
2	श्रीमती भूरा	श्री जुम्न भिश्ती	परि.	राजकीय यूनानी औष. भीलवाड़ा	11.04.1961	30.04.2021
3	श्री इब्राहीम खां	श्री सुमार खां	परि.	राजकीय यूनानी औष. गोमट-जैसलमेर	25.07.1961	31.07.2021

नोट :- उक्त सूची में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा के कार्मिकों के क्रम सं. 01 से 03 तक अंकित किसी भी कार्मिक के विरुद्ध वर्तमान में :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

क्रमांक: प्रति-2/च.श्रे अधि.से.नि.-2021/2020-21/1600-5

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर कल्याण विभाग राजस्थान अजमेर/जोधपुर।
3. यूनानी चिकित्साधिकारी, रा.यू.औ. अन्दरकोट-अजमेर/भीलवाड़ा/गोमट-जैसलमेर को देकर लेख है कि उक्त कार्मिक को सेवा निवृत्ति दिनांक पर राज्य सेवा से सेवा निवृत्त कर सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।
4. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
5. संबंधित कार्मिक श्री.....।
6. रक्षित पत्रावली।

अति. निदेशक

दिनांक:- 17/06/2020



अति. निदेशक